भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1086

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

गढ़ मुक्तेश्वर का विकास और सौंदर्यीकरण

†1086. श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गढ़ मुक्तेश्वर के विकास और सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु मां गंगा नदी में पवित्र स्नान करने के लिए इस स्थान पर आते हैं;

(ख) यदि हां, तो गढ़ मुक्तेश्वर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं या परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना भी शामिल है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त स्थान पर साफ-सफाई और स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करने के साथ-साथ वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, स्वच्छता और पार्किंग जैसी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) उक्त परियोजनाओं और योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं और योजनाओं के लिए कितना बजट आबंटन किया गया है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): पर्यटन गंतव्यों एवं उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', एवं 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों की सहायता' की अपनी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में पर्यटन अवसंरचना विकास के उनके प्रयासों को सम्पूरित करता है।

राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। इन प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और ऐसी परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के अनुपालन तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गढ़ मुक्तेश्वर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है।

****